253

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-1935-I/07

1- श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री घनश्याम सिंह, निवासी -अतर्रा जिला बांदा उत्तर प्रदेश.

2- श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी -कृष्णनगर सतना म0प्र0 -

:------ निगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि० 12-12-07 को प्रस्तुत।
अपर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

1- म0 प्र0 शासन

2- राजमाता कवितेश्वरी देवी पत्नी स्व.श्री चरणामृत सिंह जूदेव, निवासी मैहर,

3- अमरराम सिंह तनय स्व.श्री चरणामृत सिंह जूदेव- मैहर,

:------ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, प्रकरण क्रमांक 218/निगरानी/06-07 आदेश दि. 22.9.07 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

मुकेश भार्गव
12-12-07 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय दिनांक 27.8.07 व दिनांक 22.9.07 प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विवादित भूमियां श्री चरणामृत जूदेव निवासी-मैहर के नाम थी। उक्त भूमियां किते से संलग्न है, जिससे उक्त भूमियों के भूमि स्वामी स्व.श्री चरणामृत सिंह जूदेव के, और उक्त भूमियों को उन्होंने

सुनीता सिंह

[2]

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र0क01935–एक/2007निगरानी जिला सतना

थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि आदि के हस्ता.
18-1-17	निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 218/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–09–2007 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 2 एंव 3 ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मेहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 50 ए/79 में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 1992 की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत कर तहीसीलदार मेहर से मांग की कि मौजा मेहर की भूमि सर्वे कमांक 16 रकबा 14 वीघा 17 विसवा एंव सर्वे कमांक 64 रकबा 9 वीघा 1 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के स्व.चरणामृत सिंह जू देव भूमि स्वामी थे एंव वादग्रस्त भूमि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में स्व.चरणामृत सिंह जू देव के नाम अंकित होना चाहिये थे। वह स्व.चरणामृत सिंह जू देव के वारिस है इसलिये शासकीय अभिलेख में भूमि उनके नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार मेहर ने प्रकरण कमांक 20 अ	

74/2004–05 पॅजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 10–12–2004 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी स्वर्गीय चरणामृत के नाम घोषित करने के आदेश दिये। तदुपरांत भूमि अनावेदक कमांक 1 एंव 2 के नाम होने के पर उन्होंने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 4–1–200 से आवेदकगंण के हित में विकय कर दी एंव विकय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 24–1–2006 से केतागण के नाम हुई।

अनुविभागीय अधिकारी, मैहर ने समाचार पत्र की खबरों पर से तहसीलदार मेहर के प्रकरण कमांक 20 अ 74/2004–05 एंव प्रकरण कमांक 57 अ 6/03–04 का परीक्षण कर पत्र दिनांक 16–5–07 से कलेक्टर सतना को जॉच प्रतिवेदन अग्रेषित किया, जिस पर से कलेक्टर सतना ने आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक 2 व 3 के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 48/06–07 पंजीबद्व करके कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27–8–2007 पारित करके तहसीलदार मेहर का प्रकरण कमांक 20 अ 74/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2004 एंव नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर दिय गये आदेश दिनांक 24–1–2006 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 218 2006–07 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 22–09–2007 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3 उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र0क0 1935–एक/2007 निगरानी जिला सतना

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि आदि के हस्ता.
	करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तहसीलदार मैहर ने स्वर्गीय चरणामृत सिंह जू देव के नाम वादग्रस्त भूमि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 50 ए/79 में पारित आदेश दिनांक 27–2–1992 के परिपालन में विचारित की है। हालॉकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 16–5–07 में बताया गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 27–2–92 के विरूद्ध अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मेहर के न्यायालय में अपील में आदेश दिनांक 6–5–99 पारित हुआ है इस आदेश के पद 20 में निर्धारित किया गया है कि उपरोक्त उल्लेखित कारणों से इस परिवर्तन के साथ वादी अपनी साक्ष्य व्दारा यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि जब राज्य का विलीनीकरण हुआ था उस समय भारत सरकार एंव मध्य प्रदेश शासन के संविदा के अनुसार उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को जो सूची प्र0डी05 सी, के अनुसार बनाई गई थी उसमें सूची के क्र. 1 में उललेखितं व्यक्तिगत संपत्ति पैलेस ऐट मेहर, अस्पताल, गैरज, टेंपिल आफ मदनमोहन जी, टेंपिल आफ विहारी जी, ओपन स्पेस को उनकी प्राईवेट प्रापर्टी माना गया है। तहसीलदार मेहर ने माननीय व्यवहार न्यायालय के	

उक्तादेशों के क्रम में प्रकरण क्रमांक 20 अ 74/2004-05 में जॉच की है एंव वादग्रस्त भूमि ओपन स्पेस को उनकी प्राईवेट प्रापर्टी जॉच में प्रमाणित होने से आदेश दिनांक 10-12-2004 से स्वर्गीय चरणामृत सिंह के नाम की हैं, जिसके विरूद्व कलेक्टर सतना ने दिनॉक 15-5-2007 को 29 माह से अधिक अवधि वाद स्वमेव निगरानी दर्ज की है, जबकि मोहन तथा अन्य एक विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 1999 रा0नि0 363 का दृष्टांत है कि ' भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति - युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिये - एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है । इस प्रकार कलेक्टर सतना व्दारा समयवाधित निगरानी पंजीबद्व करना पाये जाने से उनके व्दारा लिया गया निर्णय उचित नहीं माना जा सकता।

5/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 50 ए/79 में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 1992 एंव अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मेहर के अपीलीय आदेश दिनांक 6-5-99 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मेहर ने आदेश दिनांक 10-12-2004 से वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय चरणामृत के नाम की है तब क्या ऐसी भूमि को राजस्व न्यायालय पुनः शासकीय घोषित कर सकता है अथवा स्वामित्व में फेरफार कर सकता है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव माननीय व्यवहार न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय चरणामृत सिंह जू देव की होना माना है, तब राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं है। यदि

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र0क01935-एक/2007निगरानी जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ता.
	व्यवहार न्यायालय के आदेश से राजस्व अधिकारी व्यथित है तब उन्हें व्यवहार न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील में जाना होगा और जब तक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मेहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 50 ए/79 में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 1992 एंव अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मेहर के अपीलीय आदेश दिनांक 6-5-99 स्थिर हैं - वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अभिलेख में फेर-बदल करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है किन्तु आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 218/2006-07 निगरानी में आदेश दिनांक 22-09-2007 पारित करते समय तथा कलेक्टर सतना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 48/06-07 में आदेश दिनांक 27-8-2007 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 218/2006-07 निगरानी में आदेश दिनांक 22-09-2007 एंव कलेक्टर सतना व्दारा प्रकरण कमांक 48/06-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक	

27–8–2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार मेहर के प्रकरण कमांक 20 अ 74/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2004 एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर दिये गये आदेश दिनांक 24–1–2006 को यथावत् रखा जाता है।

सदस्य